18.7.25 पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी व वकील उपस्थित नहीं। न ही प्रार्थी उपस्थित। प्रार्थी व उसके वकील को रुक-रुक कर आवाज लगायी गयी। कोई उपस्थित नहीं। अतः पत्रावली अदम-पैरवी, अदम हाजरी में खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर मुताबिक कैफियत खिल दफ्तर हो। नम्बर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी
धौलपुर (राज0)